न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 393/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
खबडा खां पुत्र ईसा खां जाति मुसलमान निवासी नेगरडा तहसील शिव जिला बाडमेर		1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शिव जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश जो उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा राजस्व आवेदन पत्र संख्या 96/2017 अनवान तहसीलदार शिव बनाम आम खातेदारान मे दिनांक 1–1–2017 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री विक्रम सिह राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 30–9–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार शिव ने ग्राम नेगरडा के सरकारी एवं निजी खातेदारान के कुल 11 खसरा नंबरान 205/52, 191/14, 26, 25, 196/29, 32, 252/29, 34, 33, 38, 261/214 जिनमे ऐसे सार्वजनिक रास्ते जो राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि मे से मौके पर स्थाई रूप से चालू है, परंतु उनका राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज नही है, जिनका राजस्व अभिलेख मे राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज करवाने हेतु प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव ने राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 10–8–2016 के अनुसरण मे अपीलाधीन आदेश कमांक राजस्व/2017/ 96 दिनांक 1–1–2017 के जरिये तहसीलदार शिव द्वारा प्रेषित सूची मे प्रस्तावित रकबे को राजस्व रेकर्ड मे किस्म गै मु. रास्ता के रूप मे दर्ज करने तथा तदनुसार नक्शा ट्रेस मे दुरस्ती करने के आदेश पारित किये गये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 1–1–2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रास्ता कायम करने, कटान करने अथवा रास्ता घोषित करवाने के संबंध मे किसी भी खातेदार का कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नही हुआ था, केवल पटवारी एवं तहसीलदार ने अपनी मनमर्जी से अपीलांटगण की भूमि मे से रास्ता घोषित करने का प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रेषित कर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने केवल तहसीलदार शिव से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार खातेदारी की भूमि मे से गै0मु0रास्ता घोषित करने बाबत अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अति० सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलाधीन भूमि के खातेदारान को कोई नोटिस या सूचना नही दी गई तथा उनको सुने बिना ही अपीलांटगण के खातेदारी की भूमि का रकबा कम करते हुए भूमि की किस्म खातेदारी से गै.मु.रास्ता के रूप मे दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट ने पूर्व मे अपने खातेदारी के खेत के चारो ओर पक्के नेखम स्थापित करवाने बाबत निवेदन किया था जिसमे तहसीलदार शिव को कमिश्नर नियुक्त कर पक्के नेखम स्थापित करने के आदेश दिये गये थे परंतु अपीलांट के खातेदारी के खेत के चारो ओर अब तक कोई नेखम स्थापित नही किये गये तथा अपीलांट ने इसी खातेदारी के खेत के संबंध मे एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया था जिसमे वादी के खेत की नेखमबंदी करने तथा यदि नेखमबंदी अनुसार वादी के खेत मे से रोड का निर्माण किया जाना पाया जाये तो प्रतिवादी सडक का निर्माण कार्य अपीलांट के खसरा नंबर की भूमि को छोडकर करने के आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई होने के बावजुद अधीनस्थ न्याय लय ने बिना रेकर्ड का अवलोकन किये तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्तो की समस्याओ के समाधान के लिए चलाये गये अभियान के दौरान तहसीलदार शिव ने राज्य सरकार के परिपत्रो के अनुसरण मे अपीलाधीन आदेश मे वर्णित खसरा नंबरान मे से चल रहे रास्तो का उपयोग ग्रामवासियो द्वारा अपने खेतो मे आने जाने के हेतु लिया जा रहा था परंतु उक्त भूमि का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड मे नही होने से जनहित मे उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड मे गै.मु.रास्ता दर्ज करने हेतु विधिवत प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी शिव को प्रेषित करने पर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है,वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध पत्रादि एवं तहसीलदार शिव द्वारा उपखण्ड अधिकारी शिव को प्रेषित रास्तो की समस्याओं के निराकरण प्रस्ताव तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश कमांक राजस्व/2017/96 दिनांक 1–1–2017 आदि का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं तहसीलदार शिव द्वारा उपखण्ड अधिकारी शिव को प्रेषित प्रस्ताव जिनमे ग्राम नेगरडा पटवार मण्डल झाफलीकलां के निजी एवं सरकारी खातेदारो के कुल 11 खसरान की भूमि मे से मौके पर स्थाई रास्ते चालू है परंतु उनका राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज नही होने का उल्लेख होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा रास्तो की समस्याओ के समाधान के संबंध मे जारी दिशा निर्देशो की पालना मे प्रस्तावित भूमि का पृथक से खसरा नंबर

कायम कर किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करने तथा तदनुसार नक्शे मे रास्ते की भूमि को लाल स्याही से अंकन करने के जो आदेश पारित किये है, जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अपीलाधीन आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1–1–2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 30–9–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर